



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2013/श्रावण 2, 1935

No. 199]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2013/SHRAVANA 2, 1935

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2013

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य एकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय) (द्वितीय संशोधन), विनियम, 2013

मि. सं. 1-2/2009 (EC/PS) V(i) Vol-II.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (3:1956) के अनुच्छेद 26 के उप-अनुच्छेद (1) की धारा (ई) एवं (जी) में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में एतद्वारा निम्न संशोधित विनियमों का सृजन करता है, नामतः :

1. लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन

1.1 ये विनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य एकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय) (द्वितीय संशोधन), विनियम, 2013 कहलायेंगे।

1.2 सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ही इन्हें तुरंत प्रभावी माना जायेगा।

2. यूजीसी विनियम, (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य एकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय), 2010 (जिसके पश्चात् इन्हें मुख्य विनियम कहा जायेगा) के अनुलग्नक की धारा 6.1.0 संशोधित की जाएगी तथा इसका प्रतिस्थापन निम्न धारा द्वारा किया जाएगा।

6.1.0 इस समग्र कार्यविधि में ऐसी पारदर्शी, उद्देश्यपरक एवं विश्वसनीय प्रणाली समाविष्ट होगी जो आवेदकों की योग्यता एवं प्रत्यायकों के विश्लेषण पर आधारित होगी तथा उनके द्वारा विभिन्न सापेक्ष दिशाओं में किए गए निष्पादन के अभिलेख एक प्राप्तांक प्रणाली वाले प्रारूप में दर्ज रहेगा जो उन एकादमिक निष्पादन सूचकों (API) पर आधारित होगा जैसा कि उन विनियमों के परिशिष्ट III की तालिका I से IX के अंतर्गत दर्शाया गया है।

बशर्ते, API प्राप्तकों को केवल टनुवीक्षण के उद्देश्य से उपयोग किया जाएगा। CAS प्रत्याशियों के विशिष्ट आकलन में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

बशर्ते श्रेणी III की प्रत्येक उप श्रेणी के API के प्राप्तकों (शोध एवं प्रकाशन एवं अकादमिक योगदान) का प्रत्यक्ष भर्ती/ CAS हेतु समग्र API प्राप्तकों का उच्चतम स्वरूप निम्नवत होगा:

उप-श्रेणी	API की प्रतिशतता के रूप में उच्चतमोंक अनुप्रयोग में समग्र अंक
III (ए) शोध प्रपत्र (पत्रिकाएं इत्यादि)	30%
III (बी) शोध प्रकाशन (पुस्तकें इत्यादि)	25%
III (सी) शोध परियोजनाएँ	20%
III (डी) शोध मार्गदर्शन	10%
III (ई) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं सम्मेलन/संगोष्ठी इत्यादि	15%

इस प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए विश्वविद्यालय, किसी संगोष्ठी या अध्ययन कक्ष में दिए गए व्याख्यान या विचार-विमर्श के अध्ययन से एवं/या ऐसी शोध प्रवृत्ति संबंधी योग्यता द्वारा जिससे साक्षात्कार के समय अध्यापन एवं शोध संबंधी अद्यतन प्रौद्योगिकी के उपयोग की क्षमता का आकलन किया जा सकेगा। इन विनियमों के अंतर्गत जहाँ कहीं भी चयन समितियों को निर्दिष्ट किया गया है, उनमें प्रत्यक्ष भर्ती/एवं CAS एवं पदोन्नतियों के लिए इन पद्धतियों का अनुसरण किया जा सकता है।"

3. मुख्य विनियमों की धारा 6.0.2 को संशोधित माना जाएगा तथा उसे निम्न धारा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

ये विनियम, 6.0.2 विश्वविद्यालयों द्वारा चयन समितियों एवं चयन प्रविधियों के लिए अपने संबद्ध सांविधिक निकायों के माध्यम से अपनाये जाएंगे, जिसमें अकादमिक निष्पादन सूचक (API) आधारित निष्पादन आधारित आत्म मूल्यांकन प्रणाली (PBAS) को संस्थागत स्तर पर विश्वविद्यालयी विभागों एवं उनके संघटक महाविद्यालय /संबद्ध महाविद्यालयों (सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/स्वायत्त/निजी महाविद्यालयों) में निगमित किये जाएंगे, जिससे सभी चयन पद्धतियों में इनका अनुपालन पारदर्शी रूप से किया जा सकेगा। प्रत्यक्ष भर्ती एवं करियर एडवॉन्समेंट स्कीम CAS हेतु अकादमिक निष्पादन सूचक आधारित एवं निष्पादन आधारित आत्ममूल्यांकन प्रणाली के लिए टेम्पलेट प्रोफॉर्मा अनुलग्नक-III में संलग्न किया गया है। विश्वविद्यालय, अपने अध्यापकों के लिए या इस टेम्पलेट प्रोफॉर्मा को स्वीकार करेगा या अपना आत्म आकलन सह-निष्पादन

मूल्यांकन फार्म तैयार करेगा। इसको अपनाते हुए विश्वविद्यालय किसी भी श्रेणी अथवा अनुलग्नक-III में दर्शाये गए अकादमिक निष्पादन सूचक प्राप्तियों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। भर्ती के किसी भी स्तर पर प्रत्याशियों की टनुवीक्षण के लिए यदि विश्वविद्यालय चाहें तो न्यूनतम अपेक्षित प्राप्तियों में परिवर्धन कर सकते हैं या उपयुक्त अतिरिक्त मानदण्डों का सृजन कर सकते हैं।

4. इन मुख्य विनियमों की धारा 7.3.0 को संशोधित माना जाएगा तथा उन्हें निम्न धारा द्वारा प्रतिस्थापित माना जाएगा।

7.3.0 कुलपति :

- I. सर्वोच्च दक्षता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता के सर्वोच्च व्यक्तियों को ही कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कुलपति पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति विख्यात शिक्षाविद, होने चाहिए, जिनके पास किसी भी विश्वविद्यालयी प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो अथवा किसी भी प्रतिष्ठित शोध एवं/अथवा अकादमिक प्रशासनिक संगठन में समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव हो।
- II. कुलपति का चयन 3-5 प्रख्यात सदस्यों की नामसूची द्वारा किया जाएगा, जिसे एक सर्च-समिति द्वारा एक सार्वजनिक सूचना या नामांकन या एक टेलेंट सर्च प्रक्रिया या इन दोनों विधियों की प्रक्रिया के जरिये चिह्नित किया जाएगा। उपरोक्त सर्च समिति के सदस्य, उच्च शिक्षा क्षेत्र के अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे तथा वे किसी भी रूप में संबद्ध विश्वविद्यालय से या उसके महाविद्यालयों से संबद्ध नहीं होंगे। सर्च समिति द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता को उचित महत्व देते हुए देश-विदेशों में उच्च शिक्षा संबंधी अध्यापन कार्य की योग्यता तथा अकादमिक या प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व दिया जाएगा तथा इसे लिखित रूप में पैनल सदस्यों की सूची के साथ विजिटर/ कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा। उस सर्च समिति का गठन संबद्ध विश्वविद्यालय के अधिनियम/सांविधियों के अनुसार किया जाएगा।
- III. विजिटर/कुलाधिपति, सर्च समिति द्वारा अनुशंसित नाम सूची में से कुलपति को नियुक्त करेंगे।
- IV. कुलपति की सेवा शर्तें, संबद्ध विश्वविद्यालय के अधिनियम/सांविधियों में निर्धारित होंगी तथा मुख्य विनियमों के समानरूप होंगी।
- V. कुलपति के रूप में कार्यकाल की अवधि को भी चयनित पदस्थ व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं सहित परिगणित किया जाएगा ताकि वह सेवा संबंधी सभी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी हो।

5. मुख्य विनियम के परिशिष्ट-III की तालिका I [I, II एवं III] संशोधित मानी जाएंगी तथा उन्हें तालिका I [I, II एवं III] द्वारा प्रतिस्थापित माना जाएगा, जो इन संशोधित विनियमों के साथ संलग्न है।

अखिलेश गुप्ता, सचिव, यूजीसी

[विज्ञापन III/4/असा./113/13]

संशोधित परिशिष्ट-III तालिका-I

भर्ती एवं करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) में अकादमिक निष्पादन सूचन (APIs) हेतु प्रस्तावित प्राप्तांक विश्वविद्यालयी/महाविद्यालयी अध्यापकों की पदोन्नतियाँ

श्रेणी 1, अध्यापन, अध्ययन एवं मूल्यांकन संबंधी क्रियाकलाप

संक्षिप्त व्याख्या: अध्यापकों द्वारा आत्ममूल्यांकन पर आधारित API प्राप्तांकों को इन लक्ष्यों हेतु प्रस्तावित किया जाता है (क) अध्यापन संबंधी क्रियाकलाप (ख) विषयों का ज्ञान (ग) परीक्षा एवं मूल्यांकन में भागीदारी (घ) नवोन्मेषी अध्यापन एवं नवीन पाठ्यक्रम इत्यादि में योगदान। इस श्रेणी में अध्यापकों के लिए आवश्यक न्यूनतम API प्राप्तांक 75 हैं। आत्म-मूल्यांकन प्राप्तांक यथासंभव लक्ष्यपरक सत्यापन योग्य मानदण्डों पर आधारित होना चाहिए तथा उन्हें अनुवीक्षण/चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य है कि वे ऐसे क्रियाकलापों का विवरण उपलब्ध करायें तथा संस्थागत अनिवार्यताओं द्वारा आवश्यक समझा जाने पर अधिमानताओं को समायोजित करें इसके बिना उस श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्तांकों की न्यूनतम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए।

क्र.सं.	क्रियाकलाप की प्रकृति	अधिकतम अंक
1.	व्याख्यान, संगोष्ठियाँ अनुशिक्षण, प्रायोगिक कक्षाएं, संपर्क घंटे, आवंटित व्याख्यानों की प्रतिशतता के रूप में दर्शाये गए	50
2.	यूजीसी नियमों के अतिरिक्त व्याख्यान या अन्य अध्यापन ड्यूटी	10
3.	पाठ्यचर्या के अनुसार ज्ञानोपार्जन एवं ज्ञान-अनुदेशों की तैयारी, छात्रों को अतिरिक्त स्रोत सामग्री उपलब्ध कराकर पाठ्य विवरण को समृद्ध बनाना	20
4.	सहभागिता एवं नवोन्मेषी अध्यापन एवं अध्ययन प्रविधियां, विषयवस्तु को अद्यतन करना एवं पाठ्यक्रम सुधार आदि	20

5.	परीक्षा ड्यूटी (निरीक्षण, प्रश्नपत्र तैयार करना, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन / आकलन आवंटित संख्या के अनुसार)	25
	कुल प्राप्तांक	125
	न्यूनतम वांछित API प्राप्तांक	75

टिप्पणी क: किसी भी विशिष्ट श्रेणी के अध्यापक के लिए व्याख्यान एवं अनुशिक्षण कक्षाओं का आवंटन, यूजीसी नियमों के अंतर्गत है। विश्वविद्यालय, न्यूनतम कट ऑफ (कुल नियत अवकाश) यथा उपरोक्त 1 एवं 5 के लिए 80 %, इन उप श्रेणियों को इनसे कम प्राप्तांक न प्रदान किए जाएं।

टिप्पणी 2: API प्राप्तांकों को प्राप्त करने की प्रविधि एवं PBAS की श्रेणी 1 के विभिन्न मानदंडों के अंतर्गत इन प्राप्तांकों को प्रदान करने की प्रविधि के लिए आदर्श तरीका।

1. जहाँ भी घंटों की संख्या को आकलन की इकाई माना जाता है, वहाँ अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उस गतिविधि के लिए समय-सारणी के अनुसार आवंटित किये गए घंटों की कुल संख्या तथा पिछले अकादमिक वर्ष में व्यय किये गए घंटों की संख्या की परिगणना करें। वह संस्थान, सरकारी समय-सारणी एवं छात्रों की उपस्थिति के रिकार्ड से इनका सत्यापन कर सकता है।
2. आवंटित घण्टों की संख्या की गणना करते समय केवल कार्यदिवस/सप्ताह को विचार में रखा जाएगा, उदारणार्थ यदि किसी अध्यापक को किसी संस्थान में कक्षा में अध्यापन के लिए प्रति सप्ताह 20 घण्टे दिये गए हैं तथा जो संस्थान प्रति सत्र 16 सप्ताह तक अध्यापन कार्य करता है, उस स्थिति में वह अध्यापक 320 घण्टे (यदि दूसरे सत्र में उसका अध्यापन भार उतना ही है तो इसमें अतिरिक्त 320 घण्टों का समायोजन करेगा) क्रम 1A (i) में दर्ज करेगा। जैसा कि यह यूजीसी नियम से 2 घण्टे अधिक है तो वह अध्यापक क्रम 1A (ii) में 2X16 घण्टों का हकदार होगा। ही ध्यान में रखा जाएगा तथा जो अध्यापक प्रति सत्र 16 सप्ताह तक अध्यापन कार्य करता है, वह अध्यापक 320 घण्टे (यदि दूसरी सत्र उसका अध्यापन भार उतना ही है तो इसमें अतिरिक्त 320 घण्टों का समायोजन करेगा) क्रम 1 A(i) दर्ज करेगा। जैसा कि यह यूजीसी नियम से 2 घंटे अधिक है तो वह अध्यापक क्रम 1 A(i) में 2×16 घंटों का हकदार होगा।
(ii) यदि उस सत्र में अध्यापक ने तथ्यात्मक रूप से 275 घंटे का अध्यापन किया है तो वह 1 A के क्रम में 275 घंटे की दावेदारी करेगा। (iii) अतः कुल मिलाकर उसे 320+32+275 = 627 घंटे का श्रेय उस सत्र में मिलेगा। वह अध्यापक दूसरे सत्र में समान परिगणना करेगा तथा उसका समग्र जोड़ प्रत्येक क्रम में दर्ज किया जाएगा।

3. अधिकांश उप-श्रेणियों में किसी भी अध्यापक के कुल प्राप्तांक, उस विषय में

अनुमित सापेक्ष उप-जोड़ के सर्वाधिक प्राप्तियों से भी अधिक हो सकते हैं। उस स्थिति में, उस अध्यापक के अंकों को उसके सर्वाधिक प्राप्तियों के साथ जोड़ दिया जाएगा। उदाहरणार्थ: 900 उत्तर पुस्तिकाओं पर अंक प्रदान करने वाले अध्यापक को 300 घंटों का श्रेय दिया जा सकता है तथा उसके द्वारा अन्य 40 घंटे तक परीक्षा ड्यूटी भी प्रदान की है। कुल मिलाकर ये 340 घंटे = 34 प्वाइंट बनते हैं, परंतु उस श्रेणी के अंतर्गत उसे सर्वाधिक 20 प्वाइंट ही प्रदान किये जाएंगे।

4. जहाँ भी मानदंडों के अनुसार अनुवीक्षण समिति द्वारा आकलन आवश्यक हो जाता है वहाँ उस अध्यापक को अपने निष्पादित कार्य का कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है। ऐसे मानदंडों को प्रत्येक संस्थान द्वारा अग्रवर्ती रूप से विकसित किया जाना चाहिए तथा यहाँ पर दर्शायी गई विभिन्न संदर्भित श्रेणियों की आवश्यकताओं का निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
5. 4 C के तहत, अध्यापक को केवल यही साक्ष्य देना अनिवार्य होता है कि उसने एक अज्ञात प्रतिपुष्टि प्रश्नावली को तैयार किया था, जिसमें छात्र, उसके द्वारा किये गए अध्यापन कार्य की गुणवत्ता का आकलन कर सकें। उस प्रतिपुष्टि प्रश्नावली की विषयवस्तु के बावजूद वह समस्त प्वाइंट का हकदार होगा। छात्रों द्वारा प्रदान की गई टिप्पणियों को उस अध्यापिका के विरुद्ध इस सारी कवायद में नहीं किया जाएगा।

श्रेणी	क्रियाकलाप का स्वरूप	टिप्पणी	आकलन की इकाई	प्राप्तांक
श्रेणी 1	अध्ययन, अध्यापन एवं मूल्यांकन से संबंधित क्रियाकलाप			
1A(i)	कक्षा अध्यापन (व्याख्यान, गोष्ठी सहित)	आवंटन अनुसार	प्रति अकादमिक वर्ष के अनुसार घंटे	
1A(ii)	कक्षा अध्यापन (व्याख्यानों, गोष्ठी सहित) यूजीसी नियमों के अतिरिक्त	आवंटन अनुसार	प्रति अकादमिक वर्ष के अनुसार घंटे	
1A(iii)	कक्षा अध्यापन (व्याख्यान, गोष्ठी सहित) तैयारी की अवधि	उपस्थिति पंजिका में दर्ज वास्तविक अध्यापन घंटे	प्रति अकादमिक वर्ष के अनुसार घंटे	
1B	अनुशिक्षण एवं प्रायोगिक कक्षाएँ	उपस्थिति पंजिका में दर्शाये गए वास्तविक विवरण के अनुसार	प्रति अकादमिक वर्ष के अनुसार घंटे	

1C	छात्रों के साथ कक्षा से बाहर संपर्क	1A में दर्शाये गए घंटों का अधिकतम 1 घंटा		
	उप-जोड़ 1	प्राप्तांक=घंटे /10 (अधिकतम प्राप्तांक 100)		
2	शोध पर्यवेक्षण (स्नातकोत्तर शोध प्रबंध सहित)	प्रति कार्य सप्ताह प्रति छात्र अधिकतम 1 घंटा		
	उप-जोड़ 2	प्राप्तांक=घंटे /10 (अधिकतम प्राप्तांक=30)		
3 A	प्रश्न-पत्र तैयार करना, संतुलन एवं संबद्ध कार्य	वास्तविक घंटे	शैक्षणिक वर्ष प्रति घंटे	
3 B	सतर्कता/पर्यवेक्षण एवं संबद्ध परीक्षा की ड्यूटी	वास्तविक घंटे	शैक्षणिक वर्ष प्रति घंटे	
3 C	आंतरिक आकलन, बाह्य एवं पुनर्मूल्यांकन से संबंधित उत्तरपुस्तिकाओं एवं नियत कार्यों से संबंधित मूल्यांकन /आकलन	प्रति पूर्ण उत्तर पुस्तिका के लिए अधिकतम 20 मिनट	शैक्षणिक वर्ष प्रति घंटे	
	उप-जोड़ 3	प्राप्तांक=घंटे /10 (अधिकतम प्राप्तांक 20)		
4 A	अध्यापन की नवोन्मेषी प्रविधियाँ द्विभाषी/बहुभाषी अध्यापन सहित नवोन्मेषी पाठ्यक्रम की तैयारी हेतु नवोन्मेषी अध्यापन	उपलब्ध कराया जाने वाले साक्ष्य। टनुवीक्षण समिति द्वारा प्राप्तांकों का अंतिम रूप को अंतिम रूप दिया जाएगा	अद्वितीय = 10 अति उत्तम = 7 उत्तम = 5 औसत = 3 साधारण = 1	
4B	छात्रों के लिए नूतन अध्ययन-अध्यापन सामग्री जिसमें अनुवाद, संपर्क	उपलब्ध कराया जाने वाले साक्ष्य। टनुवीक्षण समिति	अद्वितीय = 10 अति उत्तम = 7 उत्तम = 5	

	सामग्री अध्ययन पैक या समान अतिरिक्त साधन	द्वारा प्राप्तियों का अंतिम रूप को अंतिम रूप दिया जाएगा	औसत = 3 साधारण = 1	
4C	कक्षा अध्यापन एवं छात्रों के मध्य अन्योन्यक्रिया की गुणवत्ता पर के द्वारा की गई अज्ञात छात्रों की प्रतिपुष्टि का उपयोग	संलग्न किया जाने वाला प्रोफार्मा एवं सारांश प्रतिपुष्टि	प्रति पाठ्यक्रम 2 प्वाइंट (अधिकतम 10 प्वाइंट)	

प्रोन्नति हेतु वांछित न्यूनतम प्राप्तियों: श्रेणी I एवं II के कुल जोड़ 250 में से 150, श्रेणी 1 में से न्यूनतम 100 (अधिकतम अंक 180) एवं श्रेणी II में से 20 (अधिकतम अंक 70)

संशोधित श्रेणी II : सह पाठ्येतर विस्तारण एवं व्यावसायिक विकास संबंधी क्रियाकलाप

संक्षिप्त व्याख्या: अध्यापक के आत्म-आकलन पर आधारित, श्रेणी II के सह पाठ्येतर एवं विस्तारण क्रियाकलाप; एवं व्यावसायिक विकास संबंधी योगदान हेतु API प्राप्तियों को प्रस्तावित किया गया है। अध्यापक की प्रोन्नति की पात्रता हेतु वांछित न्यूनतम API प्राप्तियों 15 है। मदों एवं प्रस्तावित प्राप्तियों की एक सूची नीचे दर्शायी गयी है। यह ध्यान देने योग्य है कि सभी अध्यापक कई मदों से अंक अर्जित कर सकते हैं, जबकि कुछ क्रियाकलाप केवल एक या गिने-चुने अध्यापकों द्वारा ही संपन्न किये जा सकते हैं। क्रियाकलापों की सूची इतनी व्यापक है कि इस श्रेणी में न्यूनतम वांछित API प्राप्तियों (15) समस्त अध्यापकों को प्राप्त हो सकता है। पहले की तरह ही, आत्म-आकलन प्राप्तियों उद्देश्यपरक प्रमाणनीय मानदण्ड पर आधारित होंगे तथा उन्हें अनुवीक्षण/चयन समिति द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा।

निम्नवत दर्शायी गयी मॉडल तालिका क्रियाकलापों के समूह एवं API प्राप्तियों को दर्शाती है। विश्वविद्यालय इन क्रियाकलापों का विवरण प्रस्तुत करें; संस्थागत विशिष्टताओं को आवश्यक समझा जाने पर उस अधिमानता को, इस श्रेणी में वांछित न्यूनतम प्राप्तियों को परिवर्तित किये बिना समायोजित किया जाएगा।

क्र.सं.	क्रियाकलाप की प्रकृति	अधिकतम प्राप्तियों
1.	छात्र संबंधी पाठ्येतर, विस्तारण एवं क्षेत्र आधारित क्रियाकलाप (जैसे कि NSS/NCC एवं अन्य माध्यम, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, विषयगत घटनाक्रम-मंत्रणा एवं परामर्श)	20

2.	अकादमिक एवं प्रशासनिक समितियों की सहभागिता के माध्यम से विभाग एवं संस्थान की कारपोरेट लाइफ के प्रति योगदान एवं दायित्व	15
3.	व्यावसायिक विकासगत क्रियाकलाप (जैसे: संगोष्ठियों, सम्मेलनों, लघु अवधि के प्रशिक्षणों, पाठ्यक्रमों, वार्ताओं, व्याख्यानों, सभाओं की सदस्यताओं, प्रचार-प्रसार एवं सामान्य मदें जिन्हें निम्न श्रेणी III में आवृत्त नहीं किया गया है।)	15
	न्यूनतम वांछित API प्राप्तांक	15

टिप्पणी: API प्राप्तांकों को प्राप्त करने की प्रविधि एवं PBAS की श्रेणी 1 के विभिन्न मानदंडों के अंतर्गत इन प्राप्तांकों को प्रदान करने की प्रविधि के लिए आदर्श तरीका।

- जहाँ भी घंटों की संख्या को आकलन की इकाई माना जाता है, वहाँ अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उस गतिविधि के लिए समय-सारणी के अनुसार आवंटित किये गए घंटों की कुल संख्या तथा पिछले अकादमिक वर्ष में व्यय किये गए घंटों की संख्या की परिगणना करें। वह संस्थान, सरकारी समय-सारणी एवं छात्रों की उपस्थिति के रिकार्ड से इनका सत्यापन कर सकता है।
- आवंटित घंटों की संख्या की गणना करते समय केवल कार्यदिवस/सप्ताह को विचार में रखा जाएगा, उदाहरणार्थ यदि किसी अध्यापक को किसी संस्थान में कक्षा में अध्यापन के लिए प्रति सप्ताह 20 घण्टे दिये गए हैं तथा जो संस्थान प्रति सत्र 16 सप्ताह तक अध्यापन कार्य करता है उस स्थिति में वह अध्यापक 320 घण्टे (यदि दूसरे सत्र में उसका अध्यापन भार उतना ही है तो इसमें अतिरिक्त 320 घण्टों का समायोजन करेगा) क्रम 1A (i) में दर्ज करेगा। जैसा कि यह यूजीसी नियम से 2 घण्टे अधिक है तो वह अध्यापक क्रम 1A (ii) में 2X16 घण्टों का हकदार होगा। ही ध्यान में रखा जाएगा तथा जो अध्यापक प्रति सत्र 16 सप्ताह तक अध्यापन कार्य करता है वह 320 घण्टे (यदि दूसरी सत्र उसका अध्यापन भार उतना ही है तो इसमें अतिरिक्त 320 घण्टों का समायोजन करेगा) क्रम 1 A(i) दर्ज करेगा। जैसा कि यह यूजीसी नियम से 2 घंटे अधिक है तो वह क्रम 1 A(i) में 2×16 घंटों का हकदार होगा।
(ii) यदि उस सत्र में अध्यापक ने तथ्यात्मक रूप से 275 घंटे का अध्यापन किया है तो वह 1 A के क्रम में 275 घंटे की दावेदारी करेगा। (iii) अतः कुल मिलाकर उसे $320+32+275 = 627$ घंटे का श्रेय उस सत्र में मिलेगा। वह अध्यापक दूसरे सत्र में समान परिगणना करेगा तथा उसका समग्र जोड़ प्रत्येक क्रम में दर्ज किया जाएगा।
- अधिकांश उप-श्रेणियों में किसी भी अध्यापक के कुल प्राप्तांक, उस विषय में अनुमित सापेक्ष उप-जोड़ के सर्वाधिक प्राप्तांकों से भी अधिक हो सकते हैं। उस स्थिति में, उस अध्यापक के अंकों को उसके सर्वाधिक प्राप्तांकों के साथ जोड़ दिया जाएगा। उदाहरणार्थ: 900 उत्तर पुस्तिकाओं पर अंक प्रदान करने वाले अध्यापक को 300 घंटों का श्रेय दिया जा सकता है तथा उसके द्वारा अन्य 40 घंटे तक परीक्षा ड्यूटी भी प्रदान की है। कुल मिलाकर ये 340 घंटे = 34 प्वाइंट बनते हैं, परंतु उस श्रेणी के अंतर्गत उसे सर्वाधिक 20 प्वाइंट ही प्रदान किये जाएंगे।

4. जहाँ भी मानदंडों के अनुसार अनुवीक्षण समिति द्वारा आकलन आवश्यक हो जाता है वहाँ उस अध्यापक को अपने निष्पादित कार्य का कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है। ऐसे मानदंडों को प्रत्येक संस्थान द्वारा अग्रवर्ती रूप से विकसित किया जाना चाहिए तथा यहाँ पर दर्शायी गई विभिन्न संदर्भित श्रेणियों की आवश्यकताओं का निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
5. 4 C के तहत, अध्यापक को केवल यही साक्ष्य देना अनिवार्य होता है कि उसने एक अज्ञात प्रतिपुष्टि प्रश्नावली को तैयार किया था, जिसमें छात्र, उसके द्वारा किये गए अध्यापन कार्य की गुणवत्ता का आकलन कर सकें। उस प्रतिपुष्टि प्रश्नावली की विषयवस्तु के बावजूद वह समस्त प्वाइंट का हकदार होगा। छात्रों द्वारा प्रदान की गई टिप्पणियों को उस अध्यापक के विरुद्ध इस सारी कवायद में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

श्रेणी	क्रियाकलाप की प्रकृति	टिप्पणी	आकलन की इकाई	प्राप्तांक
श्रेणी II	पाठ्येतर, विस्तारण एवं व्यावसायिक विकास संबंधी क्रियाकलाप			
5A	विषयगत पाठ्येतर क्रियाकलाप (उदा. क्षेत्रीय कार्य, अध्ययन दौरा, छात्र संगोष्ठी, गतिविधियाँ, करियर परामर्श इत्यादि)	साक्ष्य उपलब्ध कराया जाएगा। अनुवीक्षण समिति द्वारा प्राप्तांकों को अंतिम रूप दिया जाएगा	अद्वितीय = 10 अति उत्तम = 7 उत्तम = 5 औसत = 3 साधारण = 1	
5B	अन्य पाठ्येतर क्रियाकलाप (सांस्कृतिक, खेलकूद, NSS, NCC आदि)	साक्ष्य उपलब्ध कराया जाएगा। अनुवीक्षण समिति द्वारा प्राप्तांकों को अंतिम रूप दिया जाएगा	अद्वितीय = 10 अति उत्तम = 7 उत्तम = 5 औसत = 3 साधारण = 1	
5C	क्रियाकलापों का विस्तारण एवं प्रचार— प्रसार (सार्वजनिक व्याख्यान; वार्ताएँ, संगोष्ठियाँ, लोकप्रिय लेख, जो श्रेणी III के अंतर्गत आवृत्त नहीं)	साक्ष्य उपलब्ध कराया जाएगा। अनुवीक्षण समिति द्वारा प्राप्तांकों को अंतिम रूप दिया जाएगा	अद्वितीय = 10 अति उत्तम = 7 उत्तम = 5 औसत = 3 साधारण = 1	
	उप-जोड़ 5			

6A	प्रशासनिक उत्तरदायित्व (संकायाध्यक्ष, प्राचार्य, अध्यक्ष, आयोजक, प्रभारी, अध्यापक या समकक्ष कर्तव्य जिनके अंतर्गत नियमित कार्यालयी घंटों में उपस्थित रहना अनिवार्य)	व्यापित वास्तविक घंटे	प्रति अकादमिक वर्ष के अनुसार घंटे	
6B	अध्ययन बोर्ड, अकादमिक एवं प्रशासनिक समितियों में भागीदारी	व्ययित वास्तविक घंटे	प्रति अकादमिक वर्ष के अनुसार घंटे	
	उप-जोड़ 6	प्राप्तांक = घंटे / 10 (अधिकतम प्राप्तांक=30)		
7	संस्थान की समेकित / कारपोरेट लाइफ के प्रति समस्त योगदान (5, 6 एवं किसी अन्य योगदान सहित)	साक्ष्य उपलब्ध कराया जाएगा। अनुवीक्षण समिति द्वारा प्राप्ताँकों को अंतिम रूप दिया जाएगा	अद्वितीय = 10 अति उत्तम = 7 उत्तम = 5 औसत = 3 साधारण = 1	
	कुल जोड़ (1-7)	(250 में से)		

प्रोन्नति हेतु वांछित न्यूनतम प्राप्तांक: श्रेणी I एवं II के कुल जोड़ 250 में से 150, श्रेणी 1 में से न्यूनतम 100 (अधिकतम 180) एवं श्रेणी II में से 20 (अधिकतम अंक 70)

संशोधित श्रेणी III: शोध एवं अकादमिक योगदान

संक्षिप्त व्याख्या: अध्यापक के आत्म आकलन पर आधारित API प्राप्तोंक शोध एवं अकादमिक योगदान हेतु प्रस्तावित किये जाते हैं। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रोन्नति हेतु विभिन्न स्तरों पर इस श्रेणी के अध्यापकों द्वारा वाँछित न्यूनतम API प्राप्तोंक भिन्न हैं। आत्मआकलन प्राप्तोंक प्रमाणनीय मानदण्ड पर आधारित होंगे तथा उसे अनुवीक्षण/चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

क्र.सं.	API	इंजीनियरिंग/ कृषि पशु विज्ञान/चिकित्सा विज्ञान	भाषा संकाय/कला/मानविकी /समाज विज्ञान/पुस्तकालय/शा रीरिक शिक्षा का प्रबंधन	विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के अध्यापकों के पद हेतु उच्चतम प्वाइंटस
III A	शोध पत्र प्रकाशित किए गए	संदर्भित पत्रिकाएं	संदर्भित पत्रिकाएं	15 प्रकाशन
		गैर संदर्भित लेकिन मान्य एवं विख्यात पत्रिकाएँ एवं आवधिक पत्रिकाएं जिन पर ISBN/ISSN सं. अंकित हो	गैर संदर्भित लेकिन मान्य एवं विख्यात पत्रिकाएँ एवं आवधिक पत्रिकाएं जिन पर ISBN/ISSN सं अंकित हो	10 प्रकाशन
		सम्मेलन कार्यवाहियाँ पूर्ण प्रपत्र आदि के रूप में (सारांशों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा)	सम्मेलन कार्यवाहियाँ पूर्ण प्रपत्र आदि के रूप में (सारांशों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा)	10 प्रकाशन
III B	शोध प्रकाशन (पुस्तकें, पुस्तकों के अध्याय	पाठ्यसामग्री एवं संदर्भित पुस्तकें, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित सुव्यवस्थित समकक्ष समीक्षा प्रणाली सहित	पाठ्यसामग्री एवं संदर्भित पुस्तकें, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित सुव्यवस्थित समकक्ष समीक्षा प्रणाली सहित	50/एकल लेखक की रचनाएं किसी भी संपादित पुस्तक में 10 अध्याय

	संदर्भित पत्रिकाओं आलेखों को छोड़कर)			
		राष्ट्रीय/राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विभिन्न विषयों पर पुस्तकें ISBN/ISSN सं. सहित	राष्ट्रीय/राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विभिन्न विषयों पर पुस्तकें ISBN/ISSN सं. सहित	25/एकल लेखक की रचनाएँ एवं सम्पादित पुस्तकों में 5 अध्याय
		अन्य स्थानीय प्रकाशकों द्वारा विषयों पर प्रकाशित पुस्तकें ISBN/ISSN सं. सहित	अन्य स्थानीय प्रकाशकों द्वारा विषयों पर प्रकाशित पुस्तकें ISBN/ISSN सं. सहित	15/एकल लेखक की रचनाएँ एवं सम्पादित पुस्तकों में 5 अध्याय
		अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित ज्ञान आधारित संस्करण में सम्पादित अध्याय	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित ज्ञान आधारित संस्करण में सम्पादित अध्याय	10 /अध्याय
		भारतीय/राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित ज्ञान आधारित संस्करणों के अध्याय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निदेशिका के ISBN/ISSN सं. सहित	भारतीय/राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित ज्ञान आधारित संस्करणों के अध्याय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निदेशिका के ISBN/ISSN सं. सहित	5 /अध्याय
III(C)	शोध परियोजनाएँ			
III (C)(i)	क्रियान्वित/चालू प्रायोजित परियोजनाएँ	(क) 30.00 लाख से अधिक अनुदान राशि की वृहत	(क) 5.00 लाख से अधिक अनुदान राशि की वृहत योजनाएँ	20 /प्रति परियोजना

3260 6/13-4

		योजनाएं		
		(ख) 5.00 लाख से 30.00 लाख गतिशील अनुदान राशि की वृहत योजनाएं	न्यूनतम 3 से 5 लाख तक की गतिशील अनुदान राशि की वृहत योजनाएं	15/प्रति परियोजना
		(ग) लघु शोध परियोजनाएँ (₹ 50,000 से 5 लाख से अधिक गतिशील अनुदान राशि की)	लघु शोध परियोजनाएँ (25,000 से 3 लाख से अधिक गतिशील अनुदान राशि की)	10/प्रत्येक परियोजना
III (C) (ii)	क्रियान्वित/चालू परामर्शी परियोजनाएँ	न्यूनतम ₹ 10.00 लाख की गतिशील राशि	न्यूनतम ₹ 2.0 लाख की गतिशील राशि	10/प्रत्येक परियोजना क्रमशः 10 लाख एवं 2 लाख प्रत्येक
III (C)(iii)	पूर्ण परियोजना गुणवत्ता आकलन	पूर्ण परियोजना रिपोर्ट (निधियन अभिकरण से स्वीकृत)	पूर्ण परियोजना रिपोर्ट (निधियन अभिकरण से स्वीकृत)	20/प्रत्येक वृहत परियोजना 10/प्रत्येक लघु परियोजना
III (C)(iv)	परियोजना निष्कर्ष/परिणाम	पेटेंट/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/उत्पाद प्रक्रिया	केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर सरकारी निकाय की मुख्य नीतियों का दस्तावेज	30/प्रत्येक राष्ट्रीय स्तर निष्कर्ष या पेटेंट/50/प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय स्तर हेतु
III (D)	शोध मार्गदर्शन			
III (D) (i)	एम. फिल.	केवल डिग्री प्रदान की गई	केवल डिग्री प्रदान की गई	3/प्रत्येक छात्र
III (D) (ii)	पी एच. डी.	डिग्री प्रदान की गई	डिग्री प्रदान की गई	10/प्रत्येक छात्र
		प्रस्तुत शोध प्रबंध	प्रस्तुत शोध प्रबंध	7/प्रत्येक छात्र
III (E)	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला प्रपत्र			

III (E) (i)	पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, प्रविधि कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण अध्ययन— अध्यापन— मूल्यांकन प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम, सॉफ्ट स्किल विकास कार्यक्रम, संकाय विकास कार्यक्रम (अधिकतम: 30 प्वाइंट)	(क) कम से कम दो सप्ताह की अवधि वाले	(क) कम से कम दो सप्ताह की अवधि वाले	20 / प्रत्येक
		(ख) एक सप्ताह की अवधि वाले	(ख) एक सप्ताह की अवधि वाले	20 / प्रत्येक
III (E) (ii)	सम्मेलनों / गोष्ठियों / कार्यशालाओं आदि में प्रपत्र	शोध प्रपत्रों (मौखिक / पोस्टर) का प्रस्तुतिकरण एवं निम्न में भागीदारी	शोध प्रपत्रों (मौखिक / पोस्टर) का प्रस्तुतिकरण एवं निम्न में भागीदारी	
III (E) (iii)		(क) अंतराष्ट्रीय सम्मलेन	(क) अंतराष्ट्रीय सम्मलेन	10 / प्रत्येक
		(ख) राष्ट्रीय	(ख) राष्ट्रीय	7.5 / प्रत्येक
		(ग) क्षेत्रीय / राज्य स्तर	(ग) क्षेत्रीय / राज्य स्तर	5 / प्रत्येक
		(घ) स्थानीय— विश्वविद्यालय / महाविद्यालय स्तर	(घ) स्थानीय— विश्वविद्यालय / महाविद्यालय स्तर	3 / प्रत्येक
III (E) (iv)	सम्मेलनों / परिचर्चा हेतु आमंत्रित व्याख्यान या प्रस्तुतियाँ	(क) अंतराष्ट्रीय	(क) अंतराष्ट्रीय	10 / प्रत्येक
		(ख) राष्ट्रीय स्तर	राष्ट्रीय स्तर	5 / प्रत्येक

* जहाँ भी आवश्यक समझा जाए, किसी भी निर्दिष्ट विषय में संदर्भित पत्रिका के प्राप्तकों को निम्नवत संवर्धित किया जाएगा: (i) सूचीगत पत्रिकाएँ 5 प्वाइंट (ii) 1 एवं 2 के मध्य प्रभावी

घटको सहित प्रपत्र — 10 प्वाइंट (iii) 2 एवं 5 के मध्य प्रभावी घटकों सहित प्रपत्र —15 प्वाइंट (iv) 5 से 10 के मध्य प्रभावी घटक सहित प्रपत्र—25 प्वाइंट।

** यदि सम्मेलन/संगोष्ठी में कार्यवाही के रूप में प्रस्तुत किये गये प्रकाशित प्रपत्र के प्रकाशन के लिए अर्जित प्वाइंट (iii) (क) तथा ये प्रस्तुति के तहत (III(e)ii)) नहीं हैं।

टिप्पणी:

1. इन विनियमों में प्रस्तावित समन्वयन समिति तथा विश्वविद्यालय के लिए अनिवार्य है कि वे श्रेणी III A एवं B श्रेणियों के अंतर्गत छः माह के भीतर पत्रिकाओं, आवधिक पत्रिकाओं एवं प्रकाशकों की विषयवार सूचियाँ तैयार करें और उन्हें सार्वजनिक करें। उस समय तक अनुवीक्षण/चयन समितियाँ इन प्रकाशनों का श्रेणीकरण एवं प्राप्तकों का आकलन एवं सत्यापन करेंगी।
2. संयुक्त प्रकाशनों के API की निम्नवत परिगणना की जाएगी। संबद्ध अध्यापक द्वारा किए गए प्रकाशनों की संबद्ध श्रेणी हेतु कुल प्राप्तकों में से प्रथम/प्रधान लेखक एवं समकक्ष लेखक/पर्यवेक्षक/अध्यापक का परामर्शदाता कुल प्वाइंट्स के 60% की समान रूप से साझेदारी करेगा तथा शेष 40 प्वाइंट की सभी अन्य लेखकों द्वारा समान रूप से साझेदारी की जाएगी।
3. श्रेणी III (शोध एवं अकादमिक योगदान) की तालिका में सूचीगत मानदण्डों में छात्रों द्वारा प्राप्तकों की दावेदारी के अंतर्गत निम्नवत संवर्धन किया जाएगा:

•	III (ए)	शोध पत्र (पत्रिकाएं इत्यादि)	30%
•	III (बी)	शोध प्रकाशन (पुस्तकें इत्यादि)	25%
•	III (सी)	शोध परियोजनाएँ	20%
•	III (डी)	शोध मार्गदर्शन	10%
•	III (ई)	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं सम्मेलन/संगोष्ठी इत्यादि	15%
